प्रकरण सं. 22/2017 नूरजहाँ उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि. उप.। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 15 के जवाब हेतु दिनांक 8/5/25 को पेश हो। 15/4/25	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि. उप.। वादी द्वारा संशोधित उनवान उचित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं करने की आपत्ति प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर की गई। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान एवं प्रतिवादी सं. 15 के जवाब हेतु दिनांक 20/5/25 को पेश हो। 8/5/25	
20/5/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/6/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/6/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
19/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 1/7/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि. उप.। न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद सं. 22/17 उनवान नूरजहाँ बनाम सायरा बानू में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी सं. 5691 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य वाद सं. 29/2016 बादरखाँ बनाम बादर खाँ अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान	को ७० Rakesh

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

22/17 मूलेहाँ बनाम सामान्यजन

1/7/25 काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद सं. 29/2016 एवं 22/17 में समान विषयवस्तु, समान अनुतोष चाहने एवं समान पक्षकार होने से पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित है अतः पश्चातवर्ती वाद सं. 22/2017 की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। पश्चातवर्ती वाद सं. 22/2017 को पूर्ववर्ती वाद सं. 29/16 के साथ नत्थीबद्ध किया जाता है। CPC की धारा 10 के प्रावधानों में पश्चातवर्ती वाद को नत्थीबद्ध किया जाता है। निर्णय कर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम हो तथा पश्चातवर्ती वाद की पत्रावली सं. 22/17 को पूर्ववर्ती वाद की पत्रावली 29/16 की पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध किया जाता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा